भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2889

उत्तर देने की तारीख- 12/12/2024

अनुसूचित जनजाति सूची में समुदायों को शामिल करना

2889. श्री राजकुमार रोत

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान कितने जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है और उनका राज्य-वार और समुदाय-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) नए शामिल किए गए जनजातीय समुदायों की जनसंख्या का राज्य-वार और समुदाय-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुसूचित जनजाति की सूची में जनजातीय समुदायों को शामिल करने के लिए सरकार को प्राप्त और विचाराधीन प्रस्तावों की राज्य-वार और समुदाय-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): पिछले पांच वर्षों में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की सूची में शामिल किये गये जनजातीय समुदायों की सूची **अनुलग्नक** के अनुसार है।

(ख): भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा बताया गया है कि “2011 की जनगणना संचालन की फ्रीजिंग तिथि तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की एससी/एसटी सूचियों में नए जोड़े गए समुदायों की गणना 2011 की जनगणना में की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की व्यक्तिगत एसटी आबादी का विवरण भारत की जनगणना वेबसाइट www.censusindia.gov.in पर तालिका A-11: व्यक्तिगत अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य प्राथमिक जनगणना सार (पीसीए) में उपलब्ध है। तालिका को निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा देखा जा सकता है। http://censusindia.gov.in/census.website/data/census-tables → जनगणना वर्ष 2011 → तालिका: A-11: व्यक्तिगत अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य प्राथमिक जनगणना सार (पीसीए) (सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग-अलग तालिकाएँ होंगी)।“

(ग): भारत सरकार ने दिनांक 15.06.1999 को (25.06.2002 व 14.09.2022 को पुन: संशोधित) अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में समावेशन, से अपवर्जन और अन्य संशोधनों के दावों पर निर्णय लेने के लिए प्रविधियां निर्धारित की हैं। प्रविधियां के अनुसार, केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विधान के संशोधन के लिए विचार किया जाता है जिन्हें संबंधित राज्य सरकार/केंद्रीय शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा अनुशंसित किया गया हो और न्यायोचित माना गया हो और भारत के महापंजीयक(आर.जी.आई.) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) के द्वारा सहमति प्राप्त हो । सभी कार्यवाही अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार की जाती हैं। मामले को आगे संसाधित करने के लिए संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पूर्व-अपेक्षित है।

किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में समावेशन के प्रस्तावों में प्रविधियों के अनुसार कुछ प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के साथ एक नृवंशविज्ञान रिपोर्ट होनी चाहिए। प्रस्तावों की जांच आरजीआई के कार्यालय और फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) द्वारा की जाती है। यदि प्रस्ताव आरजीआई द्वारा अनुशंसित नहीं है, तो राज्य सरकारों को आरजीआई द्वारा उठाए गए बिंदुओं के बारे में सूचित किया जाता है, ताकि अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जा सके। इसलिए ऐसे कई प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर जांच के अधीन रह सकते हैं।

अनुलग्नक

दिनांक 12.12.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2889 के भाग (क) के संबंध में अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों में अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़े गए जनजातीय समुदायों की सूची इस प्रकार है: -

क्र.सं.	आदेश/अधिनियम का नाम	अधिसूचना की तिथि	उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नाम जिनके लिए लागू है (के रूप में संशोधन)	समुदाय शामिल हैं
1.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 4)	19.3.2020	कर्नाटक	समुदायों का समावेश, अर्थात् कर्नाटक की अनुसूचित जनजातियों की सूची में (i) क्रमांक 38 पर नायकडा, नायक की जगह नायकडा, नायक ('परिवारा' और 'तलवारा' सहित) और (ii) क्रमांक 50 पर धारवाड़ और बेलागवी जिलों के "सिद्दी" समुदाय को उत्तर कन्नड़ जिले के मौजूदा 'सिद्दी' समुदाय के साथ
2.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2021 (क्रमांक 32 सन् 2021)	13.8.2021	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश की एसटी की सूची में निम्नलिखित संशोधन किए गए। प्रविष्टि 1 में "अबोर" को हटा दिया गया है, क्योंकि यह प्रविष्टि 16 में "आदि" के समान है; प्रविष्टि 6 पर “खाम्प्ती" का प्रतिस्थापन "ताई खाम्ती " द्वारा प्रविष्टि 8 पर इदु , तारोअन" का प्रतिस्थापन "मिश्मी-कामन (मिजू मिश्मी), इदु (मिश्मी) और तारोन (दिगारु मिश्मी);

				प्रविष्टि 9 में " मोम्बा " का प्रतिस्थापन " मोन्पा, मेम्बा, सरताङ् , सजोलाङ्(मिजी) द्वारा किया गया है; प्रविष्टि 10 में "किसी भी नागा जनजाति" का प्रतिस्थापन "नोक्टे, ताङसा, तुत्सा , वान्चो" द्वारा किया गया।
3.	संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2022 (क्रमांक 8 सन् 2022)	08.04.2022	झारखंड	(i) अनुसूचित जाति की सूची में प्रविष्टि 3 पर सूचीबद्ध भोगता को हटाना । (ii) अनुसूचित जनजातियों की सूची में पुरान को नई प्रविष्टि के रूप में शामिल करना; और (iii) एसटी की सूची में प्रविष्टि 16 पर प्रविष्ट खरवार के पर्यायवाची के रूप में भोगता, देशवारी, गंझू, दौतलबन्दी (द्वालबंदी), पटबन्दी, राउत, माझिया, खैरी (खेरी) को शामिल करना । (iv) अनुसूचित जनजाति की सूची में प्रविष्टि 24 पर 'मुंडा' के पर्यायवाची के रूप में तमरिया, तमड़िया को शामिल करना ।
4.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2022 (क्रमांक 9 सन् 2022)	18.4.2022	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रविष्टि 9 में 'डार्लोंग' को 'कुकी' की उप-जनजाति के रूप में दर्शाया गया है।

5.	संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022 (क्रमांक 20 सन् 2022)	24.12.2022	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही जिलों में गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड
6.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022 (2023 का क्रमांक 1)	3.1.2023	तमिलनाडु	"नरिकुरवन" को "कुरूविक्कारन" के साथ तमिलनाडु की अनुसूचित जनजाति की सूची में प्रविष्ठी 37 पर शामिल करना ।
7.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2022 (2023 का क्रमांक 2)	3.1.2023	कर्नाटक	कर्नाटक की एसटी की सूची में प्रविष्टि 16 पर 'काडू कुरुबा' के पर्याय के रूप में बेट्टा-कुरुबा समुदाय को शामिल करना।
8.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023 (क्रमांक 13 सन् 2023)	4.8.2023	छत्तीसगढ	प्रविष्टि 5 पर भारिया भूमिया के पर्यायवाची के रूप में भुईंया, भुईयाँ, भुयां का समावेश (ii). भारिया को इसके अंग्रेजी संस्करण को बदले बिना भरिया के रूप में सुधार, अर्थात् प्रविष्टि संख्या 5 में भरिया (iii). प्रवेश संख्या 5 पर पांडो के भिन्न देवनागरी संस्करण के रूप में पण्डो, पन्डो, पंडो का समावेश (iv). प्रविष्टि संख्या 14 पर धनवार के पर्यायवाची के रूप में धनुहार, धनुवार का समावेश ।

				(v). अंग्रेजी संस्करण में परिवर्तन के बिना अनुसूचित जनजाति सूची में प्रविष्टि क्रमांक 15 पर "गदबा" । (vi). प्रविष्टि संख्या 16 पर "गोंड" और "गोंड़" । (vii). प्रविष्टि संख्या 23 पर कोंद के साथ कोंध । (viii). प्रविष्टि क्रमांक 27 पर हिंदी संस्करण में कोडाकू के साथ कोड़ाकू । (ix). प्रविष्टि संख्या 32 पर नगेसिया, नागासिया, के पर्याय के रूप में "किसान" (x) प्रविष्टि संख्या 33 पर अंग्रेजी संस्करण में बदलाव किए बिना हिंदी संस्करण में 'धनगढ़' का संशोधन, 'धांगड़' के प्रतिस्थापन द्वारा। (xi). सौंरा व संवरा को सवर, सवरा के पर्यायवाची के रूप में प्रविष्टि संख्या 41 पर शामिल किया गया। (xii) प्रविष्टि क्रमांक 43 पर 'बिंझिया' को शामिल किया गया।
9.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 (क्रमांक 14 सन् 2023)	4.8.2023	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को हिमाचल प्रदेश की एसटी की सूची में प्रविष्टि 11 पर शामिल किया गया।
10.	संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित	15.02.2024	ओडिशा	(i) क्र.सं. 6 पर भुइया, भुयां के पर्यायवाची के रूप में पाउडि भूयां, पाउडि भूयां;

	जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 6 सन् 2024)			(ii) क्र.सं. 9 पर भुन्जिया के पर्यायवाची के रूप में चुकटिआ भुन्जिया; (iii) क्र.सं. 47 पर अजजा "मांकिरडिआ" के पर्याय के रूप में मांकिडिया। (iv) क्रमांक 13 पर "वोंडो पोरजा, बोंड परजा, बांडा परजा" अनुसूचित जनजाति के तहत उप-प्रविष्टि के रूप में बंडा परजा, बंडा परजा, बंडा, बंडा, बंडा। (v) अनुसूचित जातियों की सूची में क्रम संख्या 87 पर सूचीबद्ध तामाडिया और क्रम संख्या 88 पर सूचीबद्ध तामुडिया का विलोपन और (i) क्रम संख्या 8 पर तामाडिया, तामारिआ, तामुडिया, तामडिया भूमिज, तामुडिया भूमिज, तामुंडिया भूमिज, तामुलीया भूमिज, तामाडिया भूमिज को "भूमिज" मुख्य प्रविष्टि के तहत उप-प्रविष्टि के रूप में समावेशन। (vi) प्रविष्टि 17 पर धारूआ, धुरूबा, धुर्वा के उप-समूह के रूप में दुरुआ, धुरुआ, धुरवा (vii) क्रमांक 28 पर अजजा "कावार, कनवार" के पर्याय के रूप में कउर, कुँवर, कुँवर, कुँवर, कंवर, कुँवर, कअंर, कअंर, कुँवर (viii) प्रविष्टि 31 पर कुई (कंध) एसटी खोंड के तहत एक नई उप-प्रविष्टि के रूप में और कन्ध कुम्भार समुदाय कन्ध अनुसूचित जनजाति के एक उपसमूह के रूप में का समावेशन।

				(ix) क्रम संख्या 53 पर सूचीबद्ध ओरांव के पर्यायवाची के रूप में उराम, ओराम, उराओं, धांगर और ओरान मुदी समुदाय। (x) क्रम संख्या 55 पर अजजा परोजा के पर्याय के रूप में बारेंग झोडिया परजा, पेंग परजा, पेंगु परजा, परजा, सेलिआ परजा। (xi) क्रम संख्या 57 पर अजजा राजुआर के पर्याय के रूप में राजुआल, राजुआड (xii) क्रम संख्या 59 पर सवोरा, सवर, सौंरा, सहरा आदि के तहत सअर को पर्यायवाची के रूप में (xiii) क्र.सं. 63 पर मुका दोरा, मुका दोरा, नुका दोरा, नुका दोरा क्षेत्र प्रतिबंध के साथ (अविभाजित कोरापुट जिले में, जिसके अंतर्गत कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़ और मल्कानगिरी जिलों हैं) । (xiv) क्र. सं. 64 पर कोंडा रेड्डि, कोंडा रेड्डि क्रमांक पर।
11.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 7 सन् 2024)	15.02.2024	आंध्र प्रदेश	(i) बोंडो पुर्जा, खोंड पुर्जा, क्रमांक पर पोरजा के एक खंड के रूप में क्रम संख्या 25 पर (ii) क्रमांक पर सवार के खंड के रूप में कोंडा सवार क्रम संख्या 28 पर
12.	संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024)	12.02.2024	जम्मू और कश्मीर	(i) पहाड़ी जातीय समूह (ii) पाडरी जनजाति (iii) कोली (iv) गद्दा ब्राह्मण

*****